

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
श्रमायुक्त कार्यालय : प्रशासन शाखा  
5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054


फा.सं 0.266/पी.ए./एस.एल.सी./2016/4162

दिनांक : 23.08.2017

कार्यालय आदेश

समस्त जिला प्रमुखों/विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि वह अपने कार्यालय के अस्थाई कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को, भोजनावकाश से पहले, इस कार्यालय को भेजे/जमा कराये जिससे अस्थाई कर्मचारियों को समय पर वेतन प्रदान किया जा सके।

उक्त के संदर्भ में यदि कोई भी जिला प्रमुख/विभागाध्यक्ष अस्थाई कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित उपस्थिति प्रमाण पत्र इस कार्यालय में नहीं भेजता/जमा कराता है तो उसका उत्तरादायी वही जिला प्रमुख/विभागाध्यक्ष होगा।



( आर.सी.मीणा )

विशेष सचिव(श्रम)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त जिला प्रमुख/विभागाध्यक्ष, श्रम विभाग, दिल्ली सरकार